न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जी.सी.एम.एस नम्बर 2023/196

1. काली देवी पुत्री स्व० श्री रामनाथ, आयु 37 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम श्योपुर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।
2. श्रीमती पपूड़ी देवी पुत्री स्व० रामनाथ, आयु 35 वर्ष, जाति मीणा, निवासी प्लाट नम्बर 163, मीणों की ढाणी, शिव मन्दिर, सैक्टर–16, पानी की टंकी के पास, प्रताप नगर, सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।

–अपीलांट्स

बनाम

1. बोदूराम पुत्र स्व0 रामनाथ, आयु 57 वर्ष
2. बिरधीचन्द पुत्र स्व0 रामनाथ, आयु 52 वर्ष
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 रामनाथ, आयु 47 वर्ष समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, पटवार हल्का लूणियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
4. तहसीलदार, सांगानेर, जिला जयपुर ।

–रेस्पोडेंट्स

द्वितीय अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.12.2022 (सरे इजलास में सुनाने की दिनांक 28.12.2022) बअदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर – प्रथम, जयपुर जिला जयपुर द्वारा प्रथम अपील संख्या 52/2021 बउनवानी काली देवी व अन्य बनाम बोदूराम व अन्य में पारित फरमाया गया।

उपस्थित–

1. श्री विनोद कुमार सैनी वकील अपीलान्ट
2. श्री कपिल पारीक वकील रेस्पोडेन्ट 3 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–30.05.2024

1. यह अपील राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर जिला जयपुरके आदेश दिनांक 27.12.2022 (सरे इजलास में सुनाने की दिनांक 28.12.2022) के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के समक्ष वाके ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा तहसील सांगानेर के नामान्तरकरण संख्या 31 को गलत बताते हुये अपील प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 31आदेश दिनांक 24.01.1992 को निरस्त कर तहसीलदार सांगानेर को उभयपक्षकारान को विधिवत् नियमानुसार सुनवाई का समुचित दिया जाकर विधिक

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रावधानों के अनुसार गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किये जाने के आदेश दिनांक 28.12.2022 को दिये गये।

3. अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 27.12.2022 (सरे इजलास में सुनाने की दिनांक 28.12.2022) से व्यथित होकर अपीलान्ट काली देवी पुत्री स्व० श्री रामनाथद्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुरके निर्णय दिनांक 27.12.2022 (सुनाने की दिनांक 28.12.2022) निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया किअपीलाण्ट्स व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 आपस में सगे भाई–बहिन है। अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता रामनाथ का देहान्त दिनांक 11.09.1990 को हो चुका है तथा अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 की माताजी का भी देहान्त हो चुका है। स्व० रामनाथ की मृत्यु के बाद उनके जीवित वारिसान में अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 रहें हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 ने स्व0 रामनाथ की मृत्यु के बाद तत्कालीन तहसीलदार, सांगानेर से मिलीभगत करके राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाड़ा में स्थित कृषि भूमि में स्व० रामनाथ हिस्सा 1/2 की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 31 दिनांक 24.01.1992 अपने अकेले के नाम से स्वीकृत करवा लिया। उक्त नामान्तरकरण गलत, गैरकानूनी व विधि विरूद्ध है क्योंकि अपीलाण्ट्स भी मृतक खातेदार रामनाथ की वारिसान् है । प्रश्नगत नामान्तरकरण अधीन कृषि भूमि में अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 के विरासत के अधिकार संयुक्त रूप से निहित चले आ रहें है । स्व० रामनाथ के देहान्त के पश्चात अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 संयुक्त रूप से प्रश्नगत नामान्तरकरण अधीन कृषि भूमि पर विरासत के अधिकार के तहत निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहें है। पक्षकारो के मध्य अभी तक बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन नहीं हुआ है। प्रश्नगत नामान्तरकरण अधीन भूमि के संबंध में सक्षम न्यायालयो में दावे विचाराधीन है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 व तत्कालीन तहसीलदार, सांगानेर को अपीलाण्ट्स के विरासत के अधिकार समाप्त करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैप्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश दिनांक 27.12.2022 (सरे इजलास में सुनाने की तारीख 28.12.2022) विधि, विधान, न्याय एंव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो व प्रलेखीय साक्ष्यों के सर्वथा प्रतिकूल होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है तथा अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 के संयुक्त नाम से मृतक खातेदार रामनाथ की विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।विवादित नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्ट्स को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं दिया, सुनवाई का अवसर नहीं दिया, मृतक खातेदार रामनाथ के वारिसान की जाँच नहीं की गई, अपीलाण्ट्स को जानकारी दिये बिना ही, बाला–बाला नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो गलत, गैरकानूनी व विधि विरूद्ध है ।ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी तथ्यों पर गौर किये बिना रिमाण्ड किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर दिनांक 27.12.2022 (सुनाने की दिनांक 28.12.2022) निरस्त कर नामा0 संयुक्त रूप से तस्दीक किया जावे।

समागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 आपस में सगे भाई–बहिन है। अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता व माताजी का भी देहान्त हो चुका है। स्व० रामनाथ की मृत्यु के बाद उनके जीवित वारिसान में अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 रहें हैं। चूँकि अपीलाण्ट्स भी मृतक खातेदार रामनाथ की वारिसान् है। प्रश्नगत नामान्तरकरण अधीन कृषि भूमि में अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 3 के विरासत के अधिकार संयुक्त रूप से निहित चले आ रहें है । ऐसी स्थिति में हमारे पिता स्व0 रामनाथ के विधिक वारिसान में यदि नामान्तरकरण पुनः खोला जाकर अपीलांट्स के नाम अंकित किये जाते हैं तो प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित में अपीलांट को जानकारी देरी से प्राप्त होने के कारण अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार रामनाथ की विरासत को लेकर है। रामनाथ की मृत्यु उपरान्त तहसीलदार सांगानेर द्वारा 31 आदेश दिनांक 24.01.1992 जायन्दा पुत्रीयों के नाम नामा0 तस्दीक ना किया जाकर केवल रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के नाम तस्दीक किया गया। जिसकी अपील मृतक खातेदार की पुत्रीयॉ अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या 31 को निरस्त करपुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् पुत्रियों को बराबर हक व अधिकार दिये गये हैं। पुत्रियों के हक अधिकार को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा केवल रेस्पो0 1 लगायत 3 के नाम नामान्तरकरण संख्या 31 तस्दीक किये जाने की विधिक त्रुटि की है। पैतृक भूमि की विरासत का नामा0 विधिक जायज वारिसान के नाम ही खोला जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा विधिवत् ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसारतहसीलदार सांगानेर को उभयपक्षकारान को विधिवत् नियमानुसार सुनवाई का समुचित दिया जाकर विधिक प्रावधानों के अनुसार गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किये जाने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्मत् है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समक्षते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 27.12.2022 (सरे इजलास में सुनाने की तारीख 28.12.2022) यथावत रखा जाता है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर